

पत्रांक 10/न4-12/2002 शि10- 580
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

प्रेषक

श्री एम0 दास
विशेष निदेशांक 10/शि10/1

सेवा में,

राजिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्पनिटी सेन्टर, पीत बिहार
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 1-11-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निगति करने के
संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहना है कि दिनांक 4.10.04 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निगति किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए
निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निगति करने का निर्णय
लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक/
शिक्षकेतर कर्मियों को करना होगा तथा उन विद्यालयों में सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली
मापदंड के अनुरूप भवन में तदनुसंग विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करनी होगी:-

- 1-1- सेंट रेन्ना हाई स्कूल, पेगम की हवेली, पटनासिटी
- 1-2- राज्य तपस्वी श्री राजीवजी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर
राजगीर ।
- 1-3- सान्दरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, वंशी झा लेन, बूढ़नाथ,
भागलपुर
- 1-4- आर0पी0 स्कूल, कवहरी रोड, बिहारशारीफ, नभतदा
- 1-5- आर0एस0एस0 पब्लिक स्कूल, गुपौल
- 1-6- इन्फिरियल पब्लिक स्कूल, हथुआ, गोपालगंज
- 1-7- डी0 दुखनराम डी0एस0 पब्लिक स्कूल, गौला रोड, दानापुर, पटना
- 1-8- पी0 पी0एम0 स्कूल, बैंकेश्वरनगर, अहवाल मोड़, जहानाबाद
- 1-9- नोट्रेडम स्कोल, गुर
- 10- मदरा इंटरनेशनल स्कोल, एफ0सी0आई0 रोड, फुलवारीशारीफ, पटना
- 11- रेडियेन्ट इंटरनेशनल स्कूल, खगौल रोड, पटना
- 12- एडिलेड कान्वेंट स्कूल, चित्रगुप्तनगर, कंकड़वाग, पटना
- 13- डी0एस0भी0 पब्लिक स्कूल इस्टीयल एरिया, बरारी, भागलपुर
- 14- रामकृष्ण विद्यामंदिर उच्च विद्यालय, गांधी निकुंज, रन्नुचक,
भागलपुर

15. साताराम साठरुम्फा पाठशाला, डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, पुपरा, सातारामडी

16. एलिगेन्ट पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया

- 2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।
- 3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वसाधना, 30/10/04

विशेष निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा

क्रमांक

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04

सर्वोच्च शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशांक/ आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

2- शैक्षिक गुणावली को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक विद्यार्थी की निरीक्षण किया जाएगा।

3- निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यालय को निम्न अनुपत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

- क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा है,
- ख। अनुपत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जमा पाये जाने अथवा वास्तविक तिति से भिन्न होने पर,
- ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,
- घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गई नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिससे समाज के विभिन्न सोसायटी के बीच कटुता पैदा हो;
- च। सी०बी०ए०ई०, मापदण्ड के अनुरूप भवनों में सी०बी०ए०ई० मापदंड के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

विशेष निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04

प्रतिलिपि सचिव/निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा/निदेशांक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, विहार, पटना को सूचनाथ प्रेषित।

विशेष निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक, मानव संसाधन विकास विभाग, विहार, पटना को सूचनाथ प्रेषित।

विशेष निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा